UPAU010010382014

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–02, औरैया।
उपस्थितः विनय प्रकाश सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code UP-1769
सत्र परीक्षण संख्या 145 सन 2014

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष।

प्रति

दीपू बाथम पुत्र उमाशंकर बाथम,
निवासी मो0 ब्रहमनगर, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया।

..... अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या 325 सन 2012
धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता एवं
मुकदमा अपराध संख्या 324 सन 2012
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया।

अभियोजन द्वारा– **श्री अरविन्द राजपूत,** सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण द्वारा–**श्री मन्जुल मिश्रा** (ऐडवोकेट)

घटना की तिथि	01.07.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	01.07.2012
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	10.07.2012
संज्ञान की तिथि	29.08.2012
आरोप विरचना की तिथि	31.10.2014
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	27.11.2014
विचारण समाप्त होने की तिथि	**06.06.2026**

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद का विचारण अभियुक्त दीपू बाथम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 325 सन 2012, अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता एवं मुकदमा अपराध संख्या 324 सन 2012, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया के मामले में **थाना कोतवाली औरैया** के द्वारा प्रस्तुत पृथक–पृथक आरोप पत्र के आधार पर संस्थित हुआ एवं माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के द्वारा इस न्यायालय में अंतरण द्वारा विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

2– संक्षेप में, फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 01.07.2012 को **एस0आई0 सर्वेश कुमार सिंह, वादी मुकदमा** थाने से बहवाले रपट नम्बर 9 समय 06:20 पर रवाना होकर वास्ते गश्त व विवेचना में मामूर होकर जालौन चौराहे पर पहुंचा, जहां पर चीता मोबाइल में मामूर कां0 एखलाख हाशमी व कां0 राकेश कुमार मिले। हमलोग आपस में बातचीत

Digitally signed by VINAY PRAKASH SINGH
Date: 2026.06.06 11:20:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कर रहे थे कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि थाना क्षेत्र का एक जिला बदर अपराधी देवकली मन्दिर की तरफ से आकर जालौन रोड से खानपुर जाने वाले खरंजा रोड पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास करके हमलोग मय मुखबिर के जालौन रोड पर चले दिये। रास्ते में हमलोगों ने जनता के गवाह को तलाश करने का प्रयास किया तो कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। जब हमलोग खानपुर गांव जाने वाले खरंजा के करीब 100 मीटर दूर पहुंचे तो मुखबिर इशारा करके चला गया। जब हमलोग छिपते छिपाते खंरजा रोड पर करीब 30 कदम पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खरंजा रोड के दक्षिण झाड़ियों में खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमलोगों को पास आता देखकर हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायर कर दिया जिससे हमलोग बाल बाल बच गये। उस व्यक्ति ने दूसरा फायर तुरन्त किया जो नहीं चला। हमलोगों ने जान की परवाह न करते हुए घेर कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय करीब 17:30 बजे खरंजा रोड पर जालौन रोड से करीब 20 कदम झाड़ियों के किनारे पकड़ लिया। हमलोगों ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपू बाथम पुत्र उमाशंकर बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ से एक तमंचा देसी 315 बोर चालू हालत का बरामद हुआ तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिंदा 315 बोर तथा एक कारतूस जिंदा 315 बोर दाहिने हाथ से बरामद हुआ एवं एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के समय नावक्त होने के कारण कोई भी जनता का गवाह नहीं मिला सका। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त से बरामदशुदा कारतूस जिंदा व खोखा कारतूस एवं तमन्चे को एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द को टार्च व बिजली की रोशनी में लिखकर मजमून फर्द हमराहियान को सुनाकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये थ। फर्द की नकल अभियुक्त को देकर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये।

3— उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में मुकदमा अपराध संख्या 325 सन 2012, अन्तर्गत धारा—307 भारतीय दण्ड संहिता बनाम दीपू बाथम एवं मुकदमा अपराध संख्या 324 सन 2012, अन्तर्गत धारा—3/25 आयुध अधिनियम बनाम दीपू बाथम थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया पंजीकृत हुआ तथा प्रकरण के विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दीपू बाथम के विरूद्ध आरोप पत्र अर्न्तगत धारा 307 भा0दं0सं0 व अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम न्यायालय प्रेषित किया गया।

4— अभियुक्त दीपू बाथम के सत्र न्यायालय में उपस्थित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर—01, औरैया द्वारा दिनांक 31.10.2014 को उसके विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा—307 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 04 मौखिक साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	प्रदर्श	अभियोजन साक्षी संख्या	प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का प्रकार
1	पी0डब्लू0–1	एस0आई0 सर्वेश कुमार	वादी
2	पी0डब्लू0–2	हेड मोहर्रिर अशोक कुमार	लेखक एफ.आई.आर.
3	पी0डब्लू0–3	निरीक्षक रामकृपाल शुक्ल	विवेचक
4	पी0डब्लू0–4	हेड कां0 राकेश कुमार	गवाह

6– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम संख्या	प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज साबित करने वाले साक्षी
1	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी	पी0डब्लू0–1
2	प्रदर्श क–2	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–2
3	प्रदर्श क–3	कायमी रपट	पी0डब्लू0–2
4	प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–3
5	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–3
6	प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–3
7	प्रदर्श क–7	अभियोजन स्वीकृति	पी0डब्लू0–3

7– अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्षीगण की मुख्य परीक्षायें निम्न प्रकार से हैं–

8– साक्षी पी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार, वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2012 को मैं थाना कोतवाली औरैया में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन में बहवाले रपट नम्बर 09 समय 06:10 बजे दिन थाने से रवाना होकर वास्ते गश्त विवेचना में मामूर होकर जालौन चौराहे पहुंचा। वहां मुझे चीता 4 के कां0 548 अखलाख अहमद हाशमी व कां0 321 राकेश कुमार मिले। हमलोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि थाना क्षेत्र का एक जिला बदर अपराधी देवकली मन्दिर की तरफ से आकर जालौन रोड से खानपुर जाने वाले खरंजा रोड पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास करके हमलोग मय मुखबिर के जालौन रोड पर चले दिये। रास्ते में हमलोगों ने जनता के गवाह को तलाश करने का प्रयास किया तो कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। जब हमलोग खानपुर गांव जाने वाले खरंजा के करीब 100 मीटर दूर पहुंचे तो मुखबिर इशारा करके चला गया। जब हमलोग छिपते छिपाते खंरजा रोड पर करीब 30 कदम पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खरंजा रोड के दक्षिण झाड़ियों में खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमलोगों को पास आता देखकर हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायर कर दिया जिससे हमलोग बाल बाल बच गये। उस व्यक्ति ने दूसरा फायर तुरन्त किया जो

नहीं चला। हमलोगों ने जान की परवाह न करते हुए घेर कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय करीब 17:30 बजे खरंजा रोड पर जालौन रोड से करीब 20 कदम झाड़ियों के किनारे पकड़ लिया। हमलोगों ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपू बाथम पुत्र उमाशंकर बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ से एक तमंचा देसी 315 बोर चालू हालत का बरामद हुआ तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिंदा 315 बोर तथा एक कारतूस जिंदा 315 बोर दाहिने हाथ से बरामद हुआ एवं एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के समय नावक्त होने के कारण कोई भी जनता का गवाह नहीं मिला सका। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त से बरामदशुदा कारतूस जिंदा व खोखा कारतूस एवं तमन्चे को एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द को टार्च व बिजली की रोशनी में लिखकर मजमून फर्द हमराहियान को सुनाकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये थ। फर्द की नकल अभियुक्त को देकर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये। पत्रावली में का0सं0 4क/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही फर्द बरामदगी है जो मैने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना स्थल पर सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात हमलोग मय बरामदशुदा माल व मुल्जिम के वापस थाना आये थे एवं फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। बरामद तमंचा व कारतूस को दीवानजी को देकर मालखाने में रखवाया था। अभियुक्त को हवालात में दाखिल किया था।

न्यायालय के समक्ष सील बण्डल एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा व दो जिंदा कारतूस बनाम दीपू बाथम सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 324 सन 2012, धारा 3/25 आयुध अधिनियम देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर मेरे व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। सील बण्डल न्यायलय के समक्ष खोला गया तो सील बण्डल के अन्दर से निकले हुए एक अदद तमंचा 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस 315 बोर व खोखा कारतूस 315 बोर है जो मौके पर अभियुक्त दीपू बाथम के कब्जे से बरामद हुए थे। सील बण्डल कपडे पर वस्तु प्रदर्श–1, तमंचा 315 बोर पर वस्तु प्रदश–2, खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–3 व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर पर कमशः वस्तु प्रदर्श–4 व 5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मैने उन्हे घटना स्थल दिखाया था।

9– साक्षी पी0डब्लू0–2 हेड मोहर्रिर 26 अशोक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2012 को मैं कोतवाली औरैया में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। थाना कार्यालय में कार्यलेख पर मौजूद था। उपनिरीक्षक सर्वेश सिंह की फर्द बरामदगी के आधार पर मेरे द्वारा चिक संख्या 229 सन 2012 पर मुकदमा अपराध संख्या 324 सन 2012, धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम दीपू बाथम एवं मुकदमा

अपराध संख्या 325 सन 2012 धारा 307 भा0दं0स0 बनाम दीपू बाथम एवं अपराध संख्या 326 सन 2012 धारा 10 गुण्डा अधिनियम बनाम दीपू बाथम, कोतवाली औरैया फर्द के आधार पर शब्द ब शब्द पंजीकृत किया गया था। पत्रावली पर संलग्न का0सं0 4क/1 लगायत 4क/2 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इसी क्रम में मेरे द्वारा मुकदमें की कायमी बहवाले रपट संख्या 35 समय 19:15 दिनांक 01.07.2012 मेरे द्वारा की गयी थी। पत्रावली में संलग्न का0सं0 11क/18 मूल जी0डी0 की कार्बन प्रति है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मूल जी0डी0 गुजरे मियाज नष्ट हो जाने के कारण साथ लेकर नहीं आया हूं। मेरा बयान विवेचक ने लिया था।

10– साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक रामकृपाल शुक्ल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 02.07.2012 को मैं थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था, उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 324 सन 2012 धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम दीपू बाथम व मुकदमा अपराध संख्या 325 सन 2012 धारा 307 भारतीय दण्डं संहिता, पुलिस मुठभेड सम्बन्धित थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया की विवेचना मुझे प्राप्त होने पर मैनें इस अभियोग की विवेचना गृहण कर सी0डी0 के पर्चा प्रथम में नकल चिक, नकल रपट का हवाला अंकित कर संलग्न केस डायरी किया लेखक एफआईआर एचएम अषोक कुमार व अभियुक्त दीपू बाथम के बयान अंकित किये। दिनॉक 03.07.2012 को पर्चा नम्बर–02 में वादी मुकदमा सर्वेष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी ब्रहमनगर, कॉ0 अखलाख अहमद हाशमी, कॉ0 राकेश कुमार के बयान अंकित किये व वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी तैयार किया, जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या 9क है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। मौके पर मौजूद समई साक्षी अब्दुल रहमान उर्फ पप्पू व इमरान के बयान अंकित किये। दिनॉक 10.07.2012 को पर्चा नम्बर–03 में दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मैनें अभियुक्त दीपू बाथम के खिलाफ जुर्म धारा–3/25 आयुध अधिनियम व 307 भारतीय दण्ड संहिता व 10 गुण्डा निवारण अधिनियम का जुर्म बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र दाखिल किये। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3क/1, आरोप पत्र धारा–3/25 आयुध अधिनियम, आरोप पत्र संख्या–205 सन 2012 दिनॉक 10.07.2012 देखकर साक्षी ने कहा कि यही आरोप पत्र मैनें अभियुक्त दीपू बाथम के खिलाफ धारा–3/25 आर्म्स एक्ट में प्रस्तुत किया था जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3क/2 आरोप पत्र देखकर साक्षी ने कहा कि यही आरोप पत्र मैनें अभियुक्त दीपू बाथम के खिलाफ धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया था। जिसकी आरोप पत्र संख्या–206/2012 दिनॉक 10.07.2012 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया। मैं

अभियुक्त दीपू बाथम से बरामदशुदा देशी तमंचा 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर का सीलबन्डल लेकर जिला मजिस्ट्रेट महोदय, औरैया के पास इस अभियोग के सम्पूर्ण अभिलेख लेकर गया था, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, औरैया द्वारा शस्त्र व अभिलेख देखकर अभियुक्त दीपू बाथम के खिलाफ धारा–25 सपठित धारा–03 शस्त्र अधिनियम में अभियोग चलाये जाने की अभिस्वीकृति प्रदान की थी। माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय, औरैया का आदेश थाना कार्यालय से प्राप्त होने पर मैनें इसका हवाला दिनॉक 25.08.2012 को एससीडी–प्रथम में अंकित कर संलग्न केस डायरी किया जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या–8क है, उस पर प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट महोदय, औरैया के हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

11– साक्षी पी0डब्लू0–4 हेड कां0 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2012 को मैं थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया में कां0 क्लर्क के पद पर तैनात था। मेरी डियूटी चीता चार मोबाइल पर कां0 अखलाख अहमद के साथ थी। उस दिन हमलोग जालौन चौराहे पर मौजूद थे तभी एस0आई0 सर्वेश कुमार आयी। उसी समय मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का एक जिला बदर अपराधी देवकली मन्दिर की तरफ से आकर खानपुर जाने वाले खरंजा रोड पर मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमसभी लोग मुखबिर के साथ जालौन रोड पर चल दिये। रास्ते में एस0आई0 सर्वेश कुमार द्वारा गवाहान तलाशने का प्रयास किया लेकिन कोई गवाह दस्तयाब नहीं हुआ। जब हमलोग छिपते छिपाते खंरजा रोड पर करीब 30 कदम पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खरंजा रोड के दक्षिण झाड़ियों में खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमलोगों को पास आता देखकर हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायर कर दिया जिससे हमलोग बाल बाल बच गये। उस व्यक्ति ने दूसरा फायर तुरन्त किया जो नहीं चला। हमलोगों ने जान की परवाह न करते हुए घेर कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय करीब 17:30 बजे खरंजा रोड पर जालौन रोड से करीब 20 कदम झाड़ियों के किनारे पकड़ लिया। हमलोगों ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपू बाथम पुत्र उमाशंकर बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ से एक तमंचा देसी 315 बोर चालू हालत का बरामद हुआ तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिंदा 315 बोर तथा एक कारतूस जिंदा 315 बोर दाहिने हाथ से बरामद हुआ एवं एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के समय नावक्त होने के कारण कोई भी जनता का गवाह नहीं मिला सका। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त से बरामदशुदा कारतूस जिंदा व खोखा कारतूस एवं तमन्चे को एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द की नकल अभियुक्त को देकर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये। पत्रावली में संलग्न फर्द का0सं0 4क/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही फर्द बरामदगी है जो मौके पर एस0आई0 सर्वेश

कुमार द्वारा टार्च व बिजली की रोशनी में तैयार कर पढ़कर सुनाकर हमारे हस्ताक्षर बनवाये थे। इस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। मौके से हमलोग माल व मुल्जिम को लेकर थाने आये थे और एस0आई0 सर्वेश कुमार द्वारा मुल्जिम दीपू बाथम के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

12– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने कथन किया है कि जिला बदर होने के कारण मैं जालौन जिला में रहने लगा था, मुझे कुठौन्द जिला जालौन में गिरफ्तार कर उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा कि मेरे द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया गया है और न ही मेरे पास से अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है। मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कथन किया है।

13– न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

14– **<u>निष्कर्ष</u>**

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दीपू बाथम के विरूद्ध धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध कारित करने का आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 01.07.2012 को 17:30 बजे, स्थान खानपुर गांव को जाने वाले खरंजे पर वहद ग्राम खानपुर, थाना औरैया, जिला औरैया में आप अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर किया एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके आपकी जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर कारतूस एवं एक खोखा कारतूस नाजायज बरामद हुआ, जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था।

15– आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना है कि अभियोजन पक्ष अपने इस विधिक दायित्व का निर्वहन करने में किस सीमा तक सफल रहा है तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित हो पाया है या नहीं?

16– मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया।

17– उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहों ने घटना को साबित किया है। सभी गवाहों ने अपने मौखिक एवं दस्तावेजी

साक्ष्यों द्वारा घटना के सम्बन्ध में जो साक्ष्य दिया है वह बिना किसी विरोधाभास साबित है। अभियुक्त दीपू बाथम के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम बखूबी साबित है। अभियुक्त उक्त आरोप के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

18— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके द्वारा जिरह में विरोधाभासी कथन किये गये हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी है। अभियुक्त के पास से जिस तमंचा व कारतूसों की बरामदगी दिखायी गयी है, वह फर्जी है। अभियोजन द्वारा प्रकरण में किसी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन मामले को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं कर पाया है, अतः अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

19— उपरोक्त आरोप एवं उभयपक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण पर विचार किया जाये तो अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इन तर्को कि वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 145 सन 2014, अपराध संख्या 325 सन 2012 अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 एवं अपराध संख्या 324 सन 2012 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के मामले में विरचित आरोप के सम्बन्ध में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

20— उक्त मामले में फर्द बरामदगी प्रदर्श क—1 कागज संख्या 4क जो अभियोजन का आधारभूत दस्तावेज है, के अनुसार धारा 307 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/25 आयुध अधि0 के सन्दर्भ में अभियोजन कथानक मुख्यतः यह है कि दिनांक 01.07.2012 को समय 06:10 मिनट पर वादी मुकदमा अपने हमराहियों के साथ सरकारी जीप में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे तब जालौन चौराहे पर चीता मोबाइल पर कां0 एखलाख अहमद हाशमी व कां0 राकेश कुमार मिले। वहीं मुखबिर खास ने सूचना दी कि थाना क्षेत्र का एक जिला बदर अपराधी देवकली मन्दिर की तरफ से आकर जालौन रोड से खानपुर जाने वाले खरंजा रोड पर मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर वादी हमराहियों के साथ उक्त स्थान की ओर बढ़ा जब वादी खानपुर गांव जाने वाले खरंजा के करीब 100 मीटर दूर पहुंचे तो मुखबिर चला गया। जब करीब 30 कदम पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खरंजा रोड के दक्षिण झाड़ियों में खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वादी और अन्य पुलिस वालों को देखकर उन पर जान से मारने की नीयत से उसने फायर कर दिया जिससे वादी व अन्य पुलिस वाले बच गये और इन्होने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त को समय करीब 17:30 बजे खरंजा रोड पर जालौन रोड से करीब 20 कदम झाड़ियों के किनारे पकड़ लिया। अभियुक्त ने अपना नाम दीपू बाथम बताया। अभियुक्त के पास से एक तमंचा देसी 315 बोर, एक कारतूस जिंदा 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ।

21– अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षीगण के रूप में साक्षी पी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षण सर्वेश कुमार, पी0डब्लू0–2 हेड मोहर्रिर अशोर कुमार, पी0डब्लू0–3 निरीक्षक रामकृपाल शुक्ल व पी0डब्लू0–4 हेड कां0 राकेश कुमार को परीक्षित कराया गया है।

22– अभियोजन द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा जो भी साक्षीगण प्रस्तुत कराये गये हैं उन्होने दीपू बाथम द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की घटना का समर्थन किया गया है और यह भी बताया गया है कि अभियुक्त दीपू बाथम एक जिला बदर अपराधी था। अभियुक्त दीपू बाथम से अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर साबित की गयी है। अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साक्षीगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। साक्षीगण के साक्ष्य से जिरह के दौरान कोई विरोधाभास प्रकट नहीं हुई। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है। अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

23– जहां तक अभियोजन द्वारा स्वतन्त्र साक्षियों को परीक्षित न कराये जाने का प्रश्न है तो अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार एवं पी0डब्लू0–4 हेड कां0 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि घटना दिन की है, रोड चालू थी और लोग आ जा रहे थे लेकिन गवाही के लिए कोई तैयार नहीं हुआ।

24– पत्रावली पर अभियोजन द्वारा उपलब्ध करोय गये साक्ष्य से अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि किन व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा गया था, जिन्होने गवाही देने से इंकार किया। फर्द में यह भी अंकित नहीं है कि किस प्रकार जनता के साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, मात्र फर्द में यह अंकित कर देना या यह साक्ष्य देना कि कोई जनता का गवाह गवाही देने के लिये तैयार नहीं हुआ, स्वतन्त्र साक्षियों को परीक्षित न कर पाने का पर्याप्त कारण दर्शित नहीं करता है।

25– स्वतन्त्र साक्षियों को अभियोजन द्वारा परीक्षित न कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **अजमेर सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा, (2010) 3 एस.सी.सी. 746** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय का यह मत है कि पर्याप्त प्रयास के बावजूद स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं हो पाये हैं तो स्वतन्त्र साक्षी का परीक्षित न हो पाना गिरफ्तारी एवं बरामदगी को प्रभावित नहीं करता है, किन्तु ऐसे मामलों में न्यायालय को पुलिस कर्मियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता देखने हेतु उनके साक्ष्य का उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए। उक्त प्रकार का ही अभिनिर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्थाओं **जरनैल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब, 2011 सीआर.एल.जे. 1738 (एस.सी) एवं स्टेट आफ पंजाब बनाम मक्खन चन्द ए.आई.आर.**

2004 एस.सी. 306 में भी किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले में साक्षियों के साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण अपेक्षित है।

27– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में जिन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, उनके जिरह में तात्विक विसंगतियां प्रकट हुयी हैं, अतः अभियोजन कथानक को साबित नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्षीगण के जिरह में आयी निम्न विसंगतियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया।

28– साक्षी पी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार ने अपनी जिरह में कहा है कि घ ाटना स्थल मेरी चौकी क्षेत्र में नहीं है। घटना स्थल से करीब 300–400 मीटर दूर खानपूर गांव के मकानात हैं। थाने से कार्य सम्पन्न करते हुए घटना स्थल पर गये थे। थाने से रवाना होने के उपरान्त घटना स्थल पहुंचे थे, करीब 10–11 घंटे लग गये थे। उस दिन मैने विवेचना तथा जांच एकसाथ करते हुए चीता मोबाइल जालौन चौराहे पर मिले थें वही पर मुखबिर की सूचना दी थी। इससे पूर्व मुझे अभियुक्त के बारे में कोई सूचना नहीं थी। जालौन चौराहा मेरी चौकी में नहीं आता है। जी0डी0 में समय 06:10 पर रचाना होकर घटना स्थल गया था।

गिरफतारी मेमो पर अपराध संख्या नहीं पड़ती है केवल धारा लिखी जाती है। मैने व हमराहियों ने तथा अभियुक्त ने फर्द पर हस्ताक्षर किये थे। बरामद असलहा मैने व हमराहियों ने खोलकर देखा था, इससे सूघंने पर बारूद की बू आ रही थी। वादी ने घटना स्थल पर तमन्चे को सील सर्वमुहर किया था। फर्द बरामदगी लिखने में करीब एक घंटा का समय लगा था।

जनता का गवाह तलाश करने का प्रयास किया था लेकिन जनता का कोई गवाह नहीं मिला, बस्ती दूर दी थी इसलिए कोई आया नही। घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही तमंचा के फायर की आवाज सुनाई दी थी। जालौन रोड से घटना स्थल करीब 20 कदम दूर है। घटना स्थल राजमार्ग की श्रेणी में नहीं आता लेकिन वाहनों का आना जाना बना रहता है। घटना स्थल से देवकली चौकी एक किलोमीटर दूर है लेकिन वहां के इंचार्ज को कोई सूचना नहीं दी थी। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि अभियुक्त जिला बदर अपराधी है।

29– साक्षी पी0डब्लू0–2 हेड मोहर्रर अशोक कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। **उन्होने अपनी जिरह में कहा है कि** यह बात सही है कि तहरीर पर इन्सपेक्टर साहब का कोई आदेश नहीं है।

30– साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक रामकृपाल शुक्ला जो घटना के विवेचक हैं। उन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। **उन्होने जिरह में कहा है कि** मैने नक्शा नजरी वादी सर्वेश कुमार की निशानदेही पर बनायी थी। घटना स्थल से खानपुर की दूरी 100 मीटर होगी। घटना स्थल जालौन रोड से 20 कदम की दूरी पर ग्राम खानपुर की ओर है। अभियुक्त से बरामद तमंचा को मैने फारेन्सिक लैब नहीं

भेजा था क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमोदन से पूर्व तमन्चे को खोलकर परीक्षण किया था और सन्तुष्ट होने के बाद अनुमोदन प्रदान किया था। जिला मजिस्ट्रेट तमन्चे का परीक्षण करने के लिये स्पेशलिस्ट नहीं थे। जिला मजिस्ट्रेट पे तमंचे को दिनांक 25.08. 2012 को खोलकर परीक्षण किया था। जब मैं तमन्चे को जिला मजिस्ट्रेट के सामने ले गया था तब तमंचा सील सर्वमुहर था। जिला मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी हैं उन्हे तमंचा खोलने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद उस तमन्चे को जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वमुहर करवाया था। तमंचा प्रभारी व जिला मजिस्ट्रेट ने पुनः सील सर्व मुहर कर अपने हस्ताक्षर किये थे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तमंचा खोलने व परीक्षण करने का उल्लेख मैने केस डायरी में नहीं किया है। दौरान मुकदमा मैने वादी व उनके हमराहियों के बयान अंकित किये थे, उसी के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था।

31— साक्षी पी0डब्लू0—4 हेड कां0 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है क्योकि वह वादी के हमराही थे। **उन्होने जिरह में कहा है कि** घटना वाले दिन हम कुल तीन लोग मौके पर पहुंचे थे। मैं व एखलाख हाशमी व चीता मोबाइल पर थे और एस0आई0 सर्वेश बाद में मौके पर आये थे। दरोगाजी मौके पर लगभग शात 07:00 बजे आये थे। हमलोग सरकारी मोटर साइकिल से थे और दरा. ेगाजी अपनी नज़ी मोटर साइकिल से थे। यह बात सही है कि औरैया से उरई जालौन जाने के लिए यही एक रास्ता है। उस समय भी इस रोड पर ट्रक, बस, कारें मोटर साइकिल और पैदल आवागमन होता है लेकिन आज की अपेक्षा कम होता था। खानपुर से घटना स्थल की दूरी लगभग तीन कि0मी0 रही होगी। घटना स्थल के बाद यमुना पुल है जिसे पार करने के बाद जिला जालौन की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। मुल्जिम को शाम 07:30 बजे गिरफ्तार किया था। फर्द एस0आई0 सर्वेश कुमार के हस्तलेख में है और यह फर्द उन्होने स्वयं तैयार की थी। गिरफ्तारी प्रपत्र थाने पर भरे जाते हैं। मुल्जिम को गिरफ्तार करके हम लोग थाने लाये थे। दीपू बाथम की गिरफ्तारी प्रपत्र दरोगाजी ने सभी के सामने थाने पर भरा था, उस पर मैने भी हस्ताक्षर बनाया था। इस समय नक्शा नजरी व माल मुकदमाती मेरे सामने नहीं है। माल मुकदमाती में एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस थे, जो खोखा था वह उसी फायरिंग का था। मैने फायर की आवाज़ सुनी थी। यह फायर गिरफ्तारी से पॉच मिनट पहले हुआ था। उस समय हमारे और मुल्जिम के बीच करीब 100 कदम की दूरी रही होगी और कोई मुल्जिम मौके पर नहीं था। तमंचे से जब आवाज़ आई थी तब तमंचा चालू हालत में था। जब मुल्जिम को गिरफ्तार करने गया था तब मुझे उसके पास तमंचा होने की कोई जानकारी नहीं थी। हमने जनता का गवाह तलाश किया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। जब जालौन चौराहे पर लगभग 07:00 बजे थे तब भी गवाह तलाश किया कोई गवाह नहीं मिला। गिरफ्तारी के बाद भी गवाही के लिए गवाहों को तलाश किया गया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द टार्च की रोशनी में दरोगाजी ने तैयार की थी।

32— अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं है। समस्त साक्षीगण पुलिस विभाग के साक्षीगण हैं। यह तथ्य भी अभियोजन को स्वीकार है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी थी। यह बिन्दु भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया किन्तु साक्षीगण के साक्ष्य से ही यह स्पष्ट है कि कोई भी पिलेट घटना स्थल पर बरामद होने के सम्बन्ध में साक्षी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है।

पी0डब्लू0—1 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि अभियुक्त को हमने घटना स्थल से गिरफ्तार किया था। गवाहों का इंतजार किया था पर गवाह भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुए। तमंचा अभियुक्त दीपू बाथम से बरामद किया था, जिस समय पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गयी अभियुक्त 30 कदम की दूरी पर था। फायर से न तो वादी व किसी हमराही को कोई चोट आई। इस प्रकार इस प्रकार अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि यदि अभियुक्त का जान से मारने का आशय होता तो उसके द्वारा और फायर क्यों नहीं किये गये।

पी0डब्लू0—4 हेड कां0 राकेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि तमंचे के फायर की आवाज़ अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पांच मिनट पहले सुनाई दी थी। जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया था उसके पास तमंचा है इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। यह बात सही है कि पुलिस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी थी।

पी0डब्लू0—3 निरीक्षक रामकृपाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि अभियुक्त से बरामदशुदा तमंचा फारेन्सिक लैब नहीं भेजा था इसलिए नहीं भेजा था कि जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति से पूर्व तमंचे का परीक्षण किया था। यह भी माना है कि जिला मजिस्ट्रेट परीक्षण करने के लिए स्पेश्लिस्ट नहीं थे। यह भी स्वीकार किया है कि सील सर्वमुहर खोलने की किसी से अनुमति नहीं ली थी।

33— यहां यह बिन्दु भी विचारणीय है कि पत्रावली पर कथित बरामद तमंचा चालू हालत में होने के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की या किसी अन्य प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त से अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के सन्दर्भ में जिन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, उन साक्षीगण से जिरह में तात्विक विसंगतियां प्रकट हुयी हैं। किसी जन साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही स्वतन्त्र साक्षीगण को न परीक्षित कराने का कोई पर्याप्त कारण ही दर्शित किया गया है।

34— उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त से अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी को साबित करने में विफल रहा है। फिर भी यदि तर्क की सुविधा की दृष्टि से एक क्षण के लिये यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त दीपू बाथम से कथित तमंचा बरामद हुआ

था तो भी अभियोजन को धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित करने के लिये यह दर्शित करना आवश्यक है कि अभियुक्त से कथित बरामद तमंचा चालू हालत में था, किन्तु अभियोजन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी विश्वसनीय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जो यह दर्शित करता हो कि कथित तमंचा चालू हालत में था। उक्त समस्त तथ्यों को समग्र रूप से विचार में लें तो सम्पूर्ण अभियोजन कथानक ही संदिग्ध हो जाता है।

35— प्रस्तुत मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिशीलन से अभियोजन कथानक संदेहयुक्त प्रतीत होता है और जैसा कि अभियोजन मामले में सन्देहयुक्त होने के सम्बन्ध में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य ए0आई0आर0 2001 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 3678** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपना केस निश्चितता के सन्देह से परे साबित करे। अभियोजन केस में आय सन्देह का लाभ अभियुक्त पाने के हकदार हैं।

36— मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधि व्यवस्था **राजस्थान राज्य प्रति शीशपाल ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्कसंगत पूर्ण सन्देह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी पूर्णसन्देह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नहीं बदलता।

37— मान्नीय उच्चतम के द्वारा विधि व्यवस्था **बाबूराम एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2008 (2) सुप्रीम कोर्ट केसेज (कि0) 727** में यह सम्मानित विधि व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड परीक्षण के वादों में अभियोजन पक्ष को अपने कथानक को सन्देह से परे युक्तियुक्त रूप से सिद्ध करना होगा। यदि अभियोजन पक्ष के द्वारा सन्देह से परे अपराध को सिद्ध नहीं किया गया है तो सन्देह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाएगा।

38— मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **इकबाल मूसा पटेल बनाम गुजरात राज्य, 2011 (2) ए0सी0आर0 1897** में यह सम्मानित विधि व्यवस्था दी गयी है कि, अभियोजन को अपने कथानक को सन्देह से परे युक्तियुक्त रूप से, अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध करना होगा।

39— मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एस0सी0सी0 306** वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है कि संदेह चाहे जिता भी गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता और अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन को उसकी दोषिता को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होगा।

40— इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध जो कथित बरामदगी दर्शायी गयी है उसे वह सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। कथित बरामदगी का जनता का कोई साक्षी नहीं

है। सभी साक्षीगण पुलिस कर्मचारीगण हैं। इस तरह अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को गठित करने वाले तत्वों का युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

41— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से अभियोजन, अभियुक्त दीपू बाथम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दीपू बाथम, सत्र परीक्षण संख्या 145 सन 2014, अपराध संख्या 325 सन 2012, धारा 307 भा0दं0सं0 एवं अपराध संख्या 324 सन 2012, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

42— सत्र परीक्षण संख्या 145 सन 2014, अपराध संख्या 325 सन 2012, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध संख्या 324 सन 2012, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया के मामले में अभियुक्त दीपू बाथम को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त मामले में जमानत पर हैं। अभियुक्त के जमानतनामें व बंधपत्रों को निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुपालन में मु0 25,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समतुल्य धनराशि का एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

अभियुक्त के कब्जे से कथित बरामदशुदा माल, बाद मियाद अपील एवं यदि अपील की जाती है तो अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए विधिनुसार निस्तारित की जाये।

दिनांकः 06.06.2026

(विनय प्रकाश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—2, औरैया।
J.O.Code U.P. 1769

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 06.06.2026

(विनय प्रकाश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—2, औरैया।
J.O.Code U.P. 1769